कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

उद्यानों के रखरखाव के माध्यम से स्वयं के रोजगार का सुनहरा अवसर

नगर पालिक निगम, भिलाई में विकसित उद्यानों को 3 वर्षो के लिए (नियम शर्ते लागू) रखरखाव के साथ स्वयं के रोजगार/व्यवसाय करने का सुनहरा मौका नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा निगम क्षेत्र में निवासरत आम नागरिको, स्व सहायता समूह, फूल विक्रेताओ, शासकीय–अर्द्धशासकीय संस्थानो को प्रदान करना चहती है (जिसमें महिला स्व सहायता समूह को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी) जिसके अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति आवेदक उद्यान में (अंदर या बाहर जैसा भी निगम द्वारा आदेशित) स्वयं के व्यय से निगम द्वारा जारी नक्शा अनुसार 8 x 10 फुट आकार के लोहे की गुमटी अस्थायी स्थापित कर प्रतिबंधित व्यवसाय को छोड़कर अपना व्यवसाय कर सकते है। साथ ही नियमानुसार प्रतिबंधित विज्ञापन छोड़कर गुमटी के उपर ग्लोसाइन बोर्ड लगाकर विज्ञापन से लाभ कमा सकते है। इस कार्य के लिए निगम में पूर्व विकसित उद्यानों (संलग्न सूची अनुसार) का रखरखाव प्रतिदिन पानी, सिंचाई, जंगली झाड़ियो, खरपतवार को निकालने, साफ–सफाई एवं छोटे प्रकार के टूट फूट का मरम्मत का कार्य, चौकीदारी, खेलकूद सामग्री का मरम्मत नि–शुल्क करना होगा। इस हेतु निगम पृथक से कोई भुगतान नहीं करेगी। इसके आवेदन के लिए नियमानुसार प्रक्रिया निर्धारित किया गया है:–

1. दिनांक 04.12.2024 को **5:30** बजे तक लिखित प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से दर आमंत्रण किया जाता है। विस्तृत नियम–शर्ते एवं उद्यानों की सूची कार्यालय उद्यान विभाग से प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्यालय नगर पालिक निगम की वेबासाईट www.bhilainagarnigam.com व संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चीप की वेबसाईट www.cgstate.gov.in में देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।
2. दरदाता को तीन लिफाफा पद्वति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा ''अ'' में निर्धारित अमानत राशि रू. **10000.00** का एजेंसी एवं कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई के संयुक्त नाम से एफ.डी.आर. (किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक) एवं राशि रू. **1000.00** मात्र का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम से हो तथा टेक्निकल बीड आवेदक का रजिस्ट्रेशन, शपथ पत्र, व्यक्ति का पहचान पत्र व वर्तमान निवास पता संबंधी दस्तावेज, पेनकार्ड (निजी व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं) एवं हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी का अधिकार पत्र। लिफाफा ''ब'' में वित्तीय बिड (दर) तथा लिफाफा ''स'' में लिफाफा अ व ब को भरकर लिफाफा के उपर स्पष्ट शब्दो में कार्य का नाम, उद्यान का नाम एवं आवेदक का नाम एवं पता लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रत्येक उद्यान के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि में शासन का छूट प्राप्त का नियम लागू रहेगा।

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमशः 01

3. प्रस्ताव स्वीकृत की सूचना पश्चात 7 दिनो के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की स्थिति में कार्यादेश के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर संचालन, संधारण एवं रखरखाव का कार्य प्रारंभ करना होगा।

4. ऑफरदाता से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित उद्यान का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवे।

5. गुमटी के लिए विद्युत व्यवस्था एवं विद्युत देयक का भुगतान एजेंसी/दरदाता को करना होगा। निगम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा, उद्यान का ही विद्युत देयक निगम भुगतान करेगा।

6. उद्यान का रखरखाव कार्य लगातार 3 वर्षो के लिए आमंत्रित है। प्रथम एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा, तत्पश्चात सफलता पूर्वक कार्य संपादन करने पर क्रमशः अधिकतम दो बार एक–एक वर्ष के लिए पुनः अनुबंध कर नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुबंध नवीनीकरण करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित होगा।

7. उद्यान अनुबंधकर्ता को देखरेख एवं रखरखाव के लिए सौंपा जायेगा। अतः अनुबंध अवधि में उद्यान को एवं उद्यान में स्थापित संपत्ति की हानि हेतु क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा वहन की जावेगी तथा इस आशय का शपथ पत्र निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के समय देना होगा।

8. उद्यान में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। समय का निर्धारण नगर पालिक निगम भिलाई करेगा।

9. अनुबंध अवधि के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकायों तथा नगर पालिक निगम द्वारा प्रचलित एवं समय–समय पर लागू की जाने वाली नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा।

10. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा किया गया उद्यानों में व्यय किसी भी स्थिति में आधिपत्य के अधिकार के आधार के रूप में प्रयोग में नही लाया जा सकेगा। गुमटी एवं उसमें लगाये गये अनुशांगिक सामग्रीयां वापसी योग्य होगा।

11. श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा तथा उनके श्रमिकों, कर्मकारों व कर्मचारियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट कानून का पालन व जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। लगाये गये श्रमिको का भुगतान शासन के नियमों के अंतर्गत कम से कम न्यूनतम श्रमिक दर अनुसार करना होगा।

क्रमशः 02

12. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा नगर निगम विज्ञापन नीति एवं शर्तो के अनुसार विज्ञापन का प्रदर्शन किया जा सकेगा तथा गुमटी के उपर ग्लोसाइन बोर्ड लगाकर विज्ञापन किसी भी एजेंसी को अनुबंधित समय–सीमा के अंदर दे सकेगा। जिसकी सूचना नगर निगम भिलाई को अनवार्य रूप से देना होगा। शासन द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। विज्ञापन में अश्लील स्लोगन न हो व न ही किसी भी समाज व संस्था पर प्रतिक्रया व्यक्त करता हो। न ही किसी को ठेस पहुॅचता हो, न ही किसी राजनितिक दल का विज्ञापन प्रदर्शित करता हो और नही ही आपत्तिजनक हो। अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिए एजेंसी स्वयं जवाबदार होगा।

13. कार्य पर लगाये गये पारिवारिक सदस्य/श्रमिको का पहचान पत्र अनुबंधकर्ता एजेंसी को देना होगा। अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा रखे गये कर्मचारियों के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिए अनुबंधकर्ता एजेंसी जवाबदार होगा।

14. उद्यान का नवीनतम फोटोग्राफ प्रात्येक माह उद्यान विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिससे उद्यान की स्थिति का आंकलन कर अनुबंध निरंतरता पर उचित निर्णय लिया जा सके।

15. प्रभारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करना होगा। उद्यानों का निरीक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर उद्यानों का निरीक्षण किया जा सकेगा व निरीक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा।

16. उच्च अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उद्यान में श्रमिक एवं उद्यान का कार्य संतोषजनक नहीं होने व नियम–शर्तो का उल्लघंन पाये जाने पर दण्ड स्वरूप प्रत्येक चूक पर अधिकतम राशि रू. 1000.00 की दण्ड आरोपित की जा सकेगी।

17. पौधो को सुरक्षित रखने एवं आवश्यकता अनुरूप सिंचाई करना, पौधो को जीवित अवस्था में रखने का दायित्व अनुबंधकर्ता एजेंसी का होगा। उद्यान की साफ–सफाई एवं उद्यान को व्यवस्थित रखना होगा। उद्यान का रखरखाव कार्य यदि संतोषजनक या सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नहीं पाये जाने पर अथवा नियम–शर्तो के उल्लधन पर एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

18. उद्यान में कचरा निपटान के लिए खाद निर्माण हेतु पीट का निर्माण करना होगा। गुमटी के आसपास सुखा–गीला कचरा के लिए निर्धारित अनुसार व्यवस्था करना होगा।

क्रमशः 03

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

19. उद्यान के आकार का 10 प्रतिशत हिस्से का उपयोग नर्सरी के उपयोग में कर सकेगा। य ध्यान रखा जायेगा की उद्यान में भ्रमण करने वाले लोगो को कहीं पर किसी भी प्रकार का अवरोध न हों।

20. अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा कार्य के संबंध में कोई भी दावा व वाद आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को स्वीकार्य नहीं होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र दुर्ग रहेगा।

21. उद्यान में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	उद्यान अधिकारी नगर पालिक निगम भिलाई	उपअभियंता नगर पालिक निगम भिलाई

अनुबंध दिनांकः–

एजेंसी/अनुबंधकर्ता का हस्ताक्षर
नाम/पता/सील

कमशः 04

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित उद्यानों की सूची

क्रं.	नया वार्ड	जोन कमांक	स्थल का नाम	क्षेत्रफल
1	1	जोन क्रं. 01	खम्हरिया जुनवानी में उद्यान (अमृत मिशन)	4050m2
2	4	जोन क्रं. 01	उत्कल वृदांवन उद्यान	1508m2
3	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पश्चिम शिवाजी पार्क उद्यान।	2356m2
4	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पश्चिम गांधी पार्क उद्यान।	2100m2
5	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पश्चिम मलेनियम पार्क उद्यान।	2160m2
6	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पश्चिम महाराणा प्रताप उद्यान।	2130m2
7	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पश्यिम अशोक उद्यान	4000m2
8	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पश्चिम एकता पार्क	1645m2
9	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पूर्व खूबचंद बद्येल उद्यान	2025m2
10	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पूर्व गणेश उद्यान	2460m2
11	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पूर्व लोकमान्य तिलक उद्यान	3000m2
12	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पूर्व मधुकामनी बाल उद्यान (अमृत मिशन)	5264m2
13	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर ब्लाक 81 ,82 के मध्य उद्यान	2400m2
14	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पूर्व शास्त्री उद्यान	4800m2
15	4	जोन क्रं. 01	बख्शी उद्यान नेहरू नगर पूर्व उद्यान	3360m2
16	4	जोन क्रं. 01	प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम कृष्णा उद्यान	4200m2
17	5	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर श्यामाप्रसाद मुखजी उद्यान	2262m2
18	6	जोन क्रं. 01	प्रियदर्शनी परिसर पूर्व बाल उद्यान	5508m2
19	6	जोन क्रं. 01	प्रियदर्शनी परिसर पूर्व चौपाटी बाल उद्यान	5115m2
20	6	जोन क्रं. 01	प्रियदर्शनी परि.पू. प्रत्रकार कालोनी उद्यान	2500m2
21	6	जोन क्रं. 01	प्रियदर्शिनी पूर्व ब्लॉक 5/15 के सामने उद्यान	3000m2
22	7	जोन क्रं. 01	मैत्री विहार उद्यान (अमृत मिशन)	5000m2
23	7	जोन क्रं. 01	आनंद विहार उद्यान	1950m2
24	7	जोन क्रं. 01	अयप्पा नगर कोहका स्थित बाल उद्यान	3200m2
25	8	जोन क्रं. 01	न्यू कृष्णा नगर उद्यान	1435m2
26	12	जोन क्रं. 01	हाउसिंग बोर्ड कालोनी उद्यान कोहका	2400m2
27	17	जोन क्रं. 01	मल्लार पारा सुपेला उद्यान	1000m2
28	14	जोन क्रं. 02	शांति नगर बाल उद्यान	1248m2

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्र.	नया वार्ड	जोन कमांक	स्थल का नाम	क्षेत्रफल
29	25	जोन क्रं. 02	हा.बोर्ड एम.आई.जी. 2348 के समीप स्थित उद्यान	3300m2
30	31	जोन क्रं. 03	मयूर उद्यान	3395m2
31	31	जोन क्रं. 03	जयंती उद्यान बैकुठधाम	10585m2
32	36	जोन क्रं. 03	टाटा लाईन मे उद्यान (अमृत मिशन)	875m2
33	40	जोन क्रं. 04	मुक्तिधाम छावनी उद्यान	8000m2
34	42	जोन क्रं. 04	शिव मंदिर गौतम नगर उद्यान	2400m2
35	43	जोन क्रं. 04	बापू नगर गार्डन (अमृत मिशन)	3900m2
36	45	जोन क्रं. 04	कृष्णा पार्क खुर्सीपार	1500m2
37	45	जोन क्रं. 04	राधाकृष्ण मंदिर	1500m2
38	48	जोन क्रं. 04	मिलावट पारा उद्यान	3500m2
39	50	जोन क्रं. 04	बालकनाथ उद्यान	1200m2
40	51	जोन क्रं. 04	चन्द्रमा चौंक पिंक गार्डन	1200m2
41	51	जोन क्रं. 04	पंडित दीनदयान पुरम आवासीय योजना में शिव मंदिर गार्डन	1500m2
42	51	जोन क्रं. 04	एच.ए.सी.एल. कालोनी खुर्सीपार उद्यान	2000m2
43	69	जोन क्रं. 05	(सी 3 मैदान गोल मार्केट) हास्पिटल सेक्टर सी ब्लाक उद्यान	2400m2
44	69	जोन क्रं. 05	हुड़को एम.आई.जी.–2 / 316 के सामने बाल उद्यान	2400m2
45	69	जोन क्रं. 05	एच.आई.जी–I 100 हैप्पी गार्डन	1118m2
46	69	जोन क्रं. 05	हास्पिटल सेक्टर सड़क 09 एवं 10 के मध्य	2400m2
47	70	जोन क्रं. 05	हुड़को भारत माता बाल उद्यान	2250m2
48	70	जोन क्रं. 05	हुडको एम.आई.जी.199 के सामने स्थित परी उद्यान	2625m2
49	70	जोन क्रं. 05	हुड़को नेशनल पार्क उद्यान	2000m2
50	70	जोन क्रं. 05	एम.आई.जी–I 70 के पास उद्यान	1000m2
51	70	जोन क्रं. 05	एम.आई.जी–I 265 के पास उद्यान (अमृत मिशन)	2800m2
52	70	जोन क्रं. 05	एम.आई.जी–I 335 / 336 के पास उद्यान	7500m2
53	70	जोन क्रं. 05	आनंद पार्क हुड़को	400m2
54	22	जोन क्र. 02	कृष्णकुंज उद्यान	4500 m^2

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई